


FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

जगनसिंह वनाम लैंग होल्डर  
 मुकदमा नं० २५ सन् २०१८

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>13<sup>06</sup>/<sub>18</sub> वकील प्राची श्री विक्रम कुमार शर्मा ने हाजिर अदालत होकर प्रा०प० नं० 136 R.L.R. मीट प्रेसाडिया। प्रा०प० नं० 2 जि० 22 डि० 18 को प्रतिवादी का की तलबी जरूर सामान की जाकर प्रा०प० नं० 9 की तैय्य कोर्ट खण्डेला में प्रेसाडिया है।</p>	<p>555                  15/6/18</p>
<p>29<sup>06</sup>/<sub>18</sub> पत्रावली आज राजेश्वर लोड अदालत नाम आपडे द्वार अख्यान 2018 के तहत फोले अप तैय्य पंचायत समिति खण्डेला में प्रेसाडिया वकील प्राची उपना प्रकरण में तहमीलदार खण्डेला से रिपोर्ट ली गई। प्राची का शपथ-पत्र लिखा गया। प्रकरण में बहान वकील प्राची बुनी गई। दौराने बहान वकील प्राची ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुलोच विधि पारित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहमीलदार खण्डेला का अवलोकन किया गया। प्रती प्राची के पदचान के दस्तावेजात में प्राची का नाम जगन प्रसाद नारायण ही दर्ज है तथा सरपंच ग्राम पंचायत कोर्टी लुहारवास एवं तहमीलदार खण्डेला ने प्राची द्वारा वांछित प्रकृती किये जाने की अभि-शांसा की है।</p> <p>अतः उक्त तथ्यों के आलोक में वकील प्राची का प्रार्थना-पत्र स्वीकार</p>	<p>ल.सि. जगन</p> 

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

क्रिया जाता है तथा आदेशा क्रिया जाता है।  
निर्णय

तम ग्राम कोल्ही लुहारवास तहसील खण्डेला  
स्थित कृषि भूमि ख. नं. 3453, 3454, 3456,  
3495, 3920, 3966, 3969, 3970, 3971,  
3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981,  
3982, 3984, 3985, 3986, 3991 रकबा  
7.15 हे. में प्राचीन नाम "जगन पुत्र  
नारायण" के स्थान पर "जगन पुत्र नारायण"  
पुस्तक क्रिया जाता है। उक्तानुसार राजपत्र  
रेकार्ड में अमल परामर्श हेतु तहसीलदार  
खण्डेला को तहसीर आदेशा जारी हो। पञ्चायत  
कैबल सुमार होश्वर नम्बर से चम हो तथा  
बाप तहसील दाखिल दफतर हो। निर्णय मयमे  
आम सुनाया गया।

21/6/18  
बसिन्धु शास्त्र  
उपस्थित अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)